"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2011—वैशाख 9, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई-7-27/2004/1/2, दिनांक 9-3-2011 द्वारा श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1988), सचिव, महामहिम राज्यपाल एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 1-04-2011 से 3-5-2011 तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

श्री श्रीवास्तव, (भा.प्र.से.) की उक्त अवकाश अवधि में श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (1983), प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना तथा वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग द्वारा अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, महामहिम, राज्यपाल एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग का दायित्व संपादित किया जावेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

2. श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-04-2011 से 10-06-2011 तक लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित "Mid-Career Training Phase-IV" में भाग लेने हेतु राज्य शासन द्वारा नियोजित किया गया है.

श्रीमती निधि छिब्बर, (भा.प्र.से.) की उक्त प्रशिक्षण अवधि में श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (1997), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री, संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी तथा विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग द्वारा अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का दायित्व संपादित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—श्री जेवियर तिग्गा, भा.प्र.से. (2000) सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-03-2011 द्वारा श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004) कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में संशोधन करते हुए श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005), आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री राजेश सुकुमार टोप्पो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री बासवाराजू एस., भा.प्र.से. (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर, पालिक निगम, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री यशवंत कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 1-09/2011/20-एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छ.ग. मदरसा बोर्ड के कार्यों को सूचारू रूप से सम्पादित करने हेतु निम्नांकित व्यक्तियों को छ.ग. मदरसा बोर्ड में अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में मनोनीत करता है :—

क्र.	नाम एवं पता	पद
1.	श्री युनूस कुरैशी के.के. रोड मौदहा पारा, रायपुर, जिला-रायपुर	अध्यक्ष
2.	श्री जफर अहमद, (उर्दू का विद्वान) सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजातालाब, रायपुर, जिला रायपुर	सदस्य
3.	श्री हाफिज वकारी शेख अताउन्नबी, (अरबी का विद्वान) मधुबन पारा, जिला-रायगढ़.	सदस्य
4.	डॉ. शेख मोहम्मद शकील गाजीनगर, बीरगांव जिला-रायपुर	सदस्य
5.	श्री अब्दुल सलामुद्दीन ग्राम पंचायत मंगला बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	सदस्य
6.	श्री जिया कुरैशी बैजनाथपारा रायपुर, जिला-रायपुर	सदस्य
7.	श्री इरफान आलम जिला जशपुर	सदस्य

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 1-09/2011/20-एक.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी, 2011 के माध्यम से छ.ग. मदरसा बोर्ड के क.र्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में निम्न दो व्यक्तियों (1) श्री नसरूद्दीन खोखर, लुचकी पारा, दुर्ग (2) श्री मो. सलीम, फरीद नगर भिलाई, जिला दुर्ग को छ.ग. मदरसा बोर्ड में सदस्य के रूप में मनोनीत करता है.

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2-02-2011 एवं यह आदेश छ.ग. मरदसा बोर्ड, अध्यक्ष तथा सदस्य (पदावधि तथा सेवा शर्तें) नियम 2009 के अधीन होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक-एफ-5-8/दो/आठ-परि./2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर, अंबिकापुर क्षेत्रान्तर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चतकरण (Route Formulation) करती है :—

क्र.	कहां से कहां तक	व्हाया
	बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत :—	
1.	बिलासपुर से खोंगसरा	गानीयारी, कोटा, बेलगहना, लुफा बइडडा, उपका टेंगनमाड़ा बिटकुली
2.	बिलासपुर से केंदा	सकरी, गानीयारी, कोटा, बेलगहना, कोचरा, केदा
3.	बसना से कोरबा	जगदीसपुर, बिर्रा, करनौद, बम्हनीडीह, चांपा
4.	देवगांव से सरायपाली	बोरे अपुर्रा, सरिया, बोदा, कटगपाली, चन्द्रपुर, सुपा, सेमरा, धुधवा, पुटयापुरी, कुर्मापाली, केकड़ा बाड़ी, रायगढ़ बस स्टैण्ड लाखा, गेरवानी, देलारी.
5.	बांकीमोगरा से साकरा	कोरबा, चांपा, जांजगीर, अकलतरा, पामगढ़, शिवरीनारायण, बिलाईगढ़, धनसिर, खैरा, साकरा.
6.	जमनीपाली से सरईपाली	कोरबा, अरंगा, कोथारी, चांपा, बम्हनीडीह, बिर्रा, बसंतपुर, गेरवानी, भटगांव, सरसींवा, लम्बर.
7.	बाल्को से सारंगढ़	कोथारी, चांपा, बम्हनीडीह, बिर्रा, चिस्दा, जैतपुर, सरसींवा
8.	सरईपाली से कोरबा	लम्बर, सरसींवा, जैतपुर, चिस्दा, बिर्रा, बम्हनीडीह, चांपा, कोथारी
9.	बाकीमोंगरा से महासमुंद	कोरबा, कोथारी, चांपा, जांजगीर
10.	बसना से कटघोरा	जगदीशपुर, धनसिर, बिलाईगढ़, भटगांव, बसंतपुर, बिर्रा, बम्हनीडीह, चांपा.
11.	बाकीमोंगरा से सारंगढ़	कोरबा, कोथारी, चांपा, सारागांव, बाराद्वार
12.	सरईपाली से कोरबा	भंवरपुर, साजापाली, भटगांव, बसंतपुर, बिर्रा, बम्हनीडीह, चांपा, कोथारी
13.	बांकीमोंगरा से पिथौन्त	कुसमुण्डा, कोरबा, उरगा, बरपाली, कोथारी, चांपा, जांजगीर, सेमरा, सलखन, खरौद, शिवरीनारायण, गिधौरी, बरपाली, गिरौदपुरी.
14.	भटगांव से कोरबा	गिधौरी, केरा, बिर्रा, बम्हनीडीह, चांपा, उरगा
15.	बरमकेला से सरईपाली	बरमकेला, डोंगरीपाली, कालाखुंटा, हट्टापाली, सहंघोड़ा, सरईपाली
16.	बरमकेला से सरईपाली	तौसीर, बिलाईगढ़, हट्टापाली, सिंघोड़ा, सरईपाली
	अंबिकापुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत :—	
1.	बसेर से बैकुण्ठपुर	तर्रा, दामुल, लब्जी, दुधनिया, केराझरिया, उसनापारा, कटगोड़ी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक/एफ 7-31/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-10-2010 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रावांभाठा प.ह.नं. 100/28 रा.नि.मं. धरसींवा-2, तहसील व जिला रायपुर	88 का भाग, 94 का भाग, 95 का भाग, 134 का भाग, 135 का भाग, 133, 128 का भाग, 127 का भाग, 129 का भाग, 130 का भाग, 124 का भाग, 136 का भाग, 160 का भाग, 159 का भाग, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 153, 154, 152, 150, 149, 148, 151, 147, 155, 156, 146, 145, 144 का भाग, 157 का भाग, 173 का भाग, 174 का भाग, 172 का भाग, 87 का भाग.	42.00 हेक्टेयर	सामान्य वाणिज्यिक	विशेषीकृत वाणिज्यिक
		रकबा कुल	**42.00 हेक्टेयर**		

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण परिक्षेत्र में भू-उपयोग की संगतता बनाये रखने एवं नगर विकास की भावी आवश्यकता के प्रयोजन के लिए है.

3. प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव प्राप्त किए गए. आपत्तिकर्ताओं को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी कर दिनांक 22-03-2011 को सुनवाई तिथि नियत की गई. उक्त नियत तिथि को कोई भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ. मुख्यत: निम्न आपत्तियां प्रस्तुत की गई :—

1. भूमि का भू-अर्जन न किया जाए.
2. कृषि भू उपयोग भूमि को यथावत रखा जाए.

4. प्रकरण भूमि उपयोग उपांतरण का है जिसमें सामान्य वाणिज्यिक भूमि को विशेषीकृत वाणिज्यिक भू-उपयोग में मात्र उपांतरण से संबंधित है, चूंकि उक्त भूमि का भू-अर्जन एवं कृषि भू-उपयोग भूमि का उपांतरण नहीं है, अत: इस आधार पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों को अमान्य किया जाता है.

5. अत: राज्य शासन अधिनियम की धारा 23-क की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 मार्च 2011

रा. प्र. क्र. 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	गोविन्दपुर	5.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	धुमाडाड जलाशय के डुबान एवं वेस्ट वियर हेतु भूमि अधि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनन्जय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2011

क्रमांक/अ.भू.अ.प्र./प्र-4/अ-82/वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	भेडरवानी प. ह. नं. 18	0.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा (छ.ग.)	झिपनिया जलाशय के अंतर्गत भेडरवानी माइनर हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2011

क्रमांक/अ.भू.अ.प्र./प्र-5/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	करमतरा प. ह. नं. 18	0.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा (छ.ग.)	झिपनिया जलाशय मुख्य नहर हेतु अर्जित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अप्रैल 2011

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/10-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपलब्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखंतपुर	सकरी प. ह. नं. 26	7.143 हेक्टेयर	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-02, बिलासपुर.	सकरी से तुरकाडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र.-07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	सनकपाट प. ह. नं. 09	0.757	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र.-08/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	भोयटोला प. ह. नं. 08	22.275	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/258.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भड़ोरा प. ह. नं. 14	0.092	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	रबेली माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/259.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भड़ोरा प. ह. नं. 14	0.052	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	भड़ोरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक/प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	कोटमी सोनार प. ह. नं. 04	0.405	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	कर्रानाला जलाशय योजना डुबान के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	कल्याणपुर प. ह. नं. 03	0.405	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मु. चांपा.	कर्रानाला जलाशय योजना डुबान के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/260.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	खम्हारडीह प. ह. नं.11	0.222 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	मुरलीडीह माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/261.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	करौवाडीह प. ह. नं.11	3.229 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	करौवाडीह माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/262.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मुरलीडीह प. ह. नं.11	3.735	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	करौवाडीह माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/263.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	अकलसरा प. ह. नं.05	0.190	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	केकराभाठ माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/264.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कनाईडीह प. ह. नं.12	0.061 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	बड़े मुड़पार सब डि. वाय नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/265.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	दतौद प. ह. नं.07	0.113 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	खैरागढ़ सब माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लोहरसिंह प. ह. नं. 24	2.444	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिंच माइनर नहर आर.डी. क्र. 430 से 790 मी. तक एवं आर.डी. क्र. 1105 से 1380 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बरपाली प. ह. नं. 38	2.075	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत अमली भौना माइनर नहर आर.डी. क्र. 0 मी. से 900 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा प. ह. नं. 37	3.244	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत ठाकुरपाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 1000 मी. से 2485 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	ठाकुरपाली प. ह. नं. 41	0.437	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत टिनमिनी माइनर नहर आर.डी. क्र. 3395 मी. से 3660 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छिंछोर उमरिया प. ह. नं. 41	1.908	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत परसापाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 0 मी. से 1185 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	केसापाली प. ह. नं. 41	1.269	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत केलापाली माइनर नहर आर.डी.क्र. 3430 से 4080 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	अमलीपाली प. ह. नं. 39	1.613	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलीपाली माइनर नहर 2 आर.डी. क्र. 1680 से 2370 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बादीमाल प. ह. नं. 29	0.304	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत बादीमाल माइनर नहर आर.डी.क्र. 0 मी. से 120 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सेमीभांवर प. ह. नं. 28	1.486	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना. निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत सेमीभांवर माइनर नहर आर. डी. क्र. 2220 मी. से 2940 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	शंकरपाली प. ह. नं. 28	1.704	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत शंकरपाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 1590 मी. से 2415 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्रमांक/3548/कले./भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बीजापुर
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-धनोरा/कोतापाल, प.ह.नं. 43, ईटपाल, प. ह. नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-51.57 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	425	0.65
	426	2.47
	427	4.20
	428/2	5.00
	428/3	5.00
	431	1.36
	432	4.80
	433	2.52
	437	1.75
	438	4.15
	439/2	0.25
	441	0.93
	442	0.98
	444/1	0.43
	189/1	0.51
	189/2	0.84
	190	8.65
	191	2.06
	208	3.06
	214	0.31
	218	1.65
योग	21	51.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हवाई अड्डा निर्माण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्रमांक 566/भू-अर्जन/02/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-बोरसी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1362	0.03
1365	0.03
1366	0.07
1407	0.03
1413	0.01

(1)	(2)
1419	0.02
1415	0.02
1417	0.03
1418	0.02
1084	0.07
1083	0.15
1287	0.01
1288	0.01
1289	0.03
1290	0.02
1296	0.01
1298	0.01
1299	0.01
1281	0.07
1282	0.02
1277	0.03
1278	0.04
1276	0.01
1409/1	0.01
1412/1	0.01
1422/1	0.02
1409/2	0.01
1422/2	0.02
1409/4	0.02
1422/3	0.02
1412/3	0.04
योग 31	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पनवई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्रमांक 567/भू-अर्जन/01/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-जामली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
525	0.04
539	0.05
545	0.03
546	0.03
638	0.01
681	0.04
549	0.03
683	0.01
74	0.03
565	0.04
566	0.03
573	0.06
574	0.06
575	0.11
601	0.06
623	0.06
625	0.03
680	0.04
626	0.02
628	0.02
629	0.02
686	0.06
633	0.06
319	0.03
548/3	0.02
564/2	0.03
634/1	0.04
635	0.03
702	0.05
687	0.02
270	0.11
337	0.20
705	0.01
706	0.02
708	0.12
716	0.01

(1)	(2)
758	0.07
759	0.04
23	0.03
22	0.01
28	0.05
29/1	0.09
54	0.02
164	0.03
55	0.03
68	0.02
57	0.02
105	0.02
65	0.03
67	0.05
70	0.02
92	0.01
108	0.08
93	0.01
94	0.02
102	0.03
104	0.02
153	0.01
154	0.09
156/2	0.03
157	0.01
158	0.02
162/2	0.01
96	0.02
269/2	0.02
106	0.03
163	0.03
164	0.01
167/2	0.13
197	0.01
199	0.03
198	0.03
733	0.12
202	0.03
207/1	0.02
209	0.02
260	0.03
256	0.05
269/1	0.01
301	0.02
311	0.03
312	0.02
313	0.08
187/1	0.08
738	0.01
737	0.07
321	0.05
322	0.07
335	0.02
334	0.01
227	0.07
231	0.02
232	0.03
341	0.04
345	0.12
346	0.07
338	0.01
347	0.14
244	0.02
245	0.05
233	0.13
226	0.06
योग	4.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलोरा जलाशय योजना के नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-झिंगराडोंगरी, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.574 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	194	0.024
	196/1	0.194
	196/2	0.081
	197	0.275
योग	4	0.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-अमरपुर, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.773 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	131/6	0.162
	131/4	0.061
	131/5	0.036
	153/3	0.219
	116/2	0.162
	113/1 क	0.162
	113/11	0.041
	113/2	0.012
	113/3	0.121
	113/4	0.020
	114/7	0.061
	114/3	0.061
	109/1 क	0.275
	297/1, 299/1, 3	0.081
	299/4	0.081
	298/2, 3	0.275
	295/3	0.121
	303	0.275
	304/3, 4	0.073
	304/3 क	0.073
	306/1 ख, 306/6, 306/7	0.328
	307, 308	0.073
योग	22	2.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-मदनपुर, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.351 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	41/1, 42/2, 43/1, 44/1	0.085
	41/2	0.085
	38/4	0.109
	41/3	0.085
	41/4, 42/4, 44/4	0.275
	38/1	0.275
	58/4	0.077
	58/3	0.109
	58/5	0.069
	48/6	0.057
	60	0.089
	65/1	0.089
	66/2	0.178
	73	0.255
	74/2, 3	0.235
	74/1	0.008
	71/1	0.008
	87/2	0.089
	88/2	0.121
	57/2	0.053
योग	20	2.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-छीरपानी, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.084 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.126
3/2	0.126
6, 7/2, 8/2	0.251
7/1, 257/1, 263/2	0.085
7/5, 257/5, 263/5	0.085
7/3	0.222
8/1, 9	0.385
257/2, 257/6	0.340
257/7	0.214
259/2	0.109
341/5	0.275
341/8	0.024
341/9	0.109
341/10	0.012
363/1	0.069
341/7	0.069
351/3	0.057
351/4	0.045
348/2, 352	0.275
348/1	0.109
353/2	0.121
358/3	0.028
358/2	0.109
360/1, 2	0.028
361/1, 362	0.085
364	0.020
367	0.283
375/1	0.057
374/1	0.126
375/4	0.057
375/2	0.057

	(1)	(2)
	374/2	0.126
योग	32	4.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सरईसेत, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.247 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141, 142	0.061
	143/2 क	0.049
	143/2 घ	0.020
	124/2	0.113
	124/3	0.061
	123/12	0.085
	123/7	0.040
	123/1	0.089
	123/2	0.170
	117/2	0.085
	106	0.061
	107/2	0.065
	282/1	0.142
	286	0.045
	287	0.113
	289/3	0.069
	290	0.040
	294/2	0.036
	294/1	0.036
	293	0.085
	364	0.069
	361	0.166
	366/5	0.041
	366/3	0.385
	369	0.121
योग	25	2.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र. 06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सनकपाट, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/2	0.109
43/4	0.113

(1)	(2)
43/3	0.113
130/5	0.081
42/1, 42/5, 42/6	0.223
36/8	0.284
36/6	0.109
36/6	0.109
36/5	0.219
100	0.085
130/4	0.113
130/2	0.085
130/3	0.142
240/1	0.020
245/3	0.113
227/2	0.020
245/1	0.057
245/5	0.057
247/1	0.154
256/2	0.085
256/4	0.089
234	0.073
233	0.061
224/2	0.061
232/2	0.113
232/1	0.101
230/4 घ	0.049
228/1, 231	0.170
229/2	0.113
योग 31	3.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

प्रकरण क्र. 02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-खैराखुर्द, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.76 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
50	0.15
51/1	0.55
51/4	0.30
52/5	0.10
52/2	0.10
52/4	0.08
53/2	0.15
338/3	0.41
335/1	0.28
333/2	0.42
332/1	0.23
332/3	0.26
332/2	0.22
331/2	0.24
327	0.05

	(1)	(2)
	301/1	0.22
योग	16	3.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय के अंतर्गत ग्राम खैराखुर्द के नहर में अर्जित क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, लोरमी में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्रमांक/01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरगहनी, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.13 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	821	0.11
	932	0.30
	865	0.13
	886	0.27
	933	0.28
	951	0.11
	931/2	0.04
	964	0.20
	975/1	0.19
	975/2	0.13
	997	0.40
	864	0.19
	1000/1	0.19
	1064	0.03
	801	0.10
	1076	0.02
	1094	0.10
	1166	0.03
	1167	0.06
	1164/2	0.11
	1012, 1013	0.17
	1140/1	0.01
योग		3.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्रमांक/04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूभाठा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.79 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
53/1	0.21
53/2	0.10
118/3	0.35
57/6	0.45

(1)	(2)
57/22	0.20
86	0.23
169/2	0.55
85	0.30
183/9	0.31
185	0.10
188	0.30
193	0.30
192	0.15
199	0.17
194	0.30
198	0.15
200/1, 200/2, 200/3	0.32
228	0.14
229	0.16
योग	4.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रैनकोटा जलाशय मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्रमांक/06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरिया, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
192/14	0.07
192/6	0.11
194/14	0.07
194/19	0.10
194/1	0.16
201	0.10
220/10	0.07
220/18	0.10
398/2	0.08
98/4	0.18
111/1	0.09
योग	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औरापानी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2011

क्रमांक/02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपुर, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2335/2	0.35
योग	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय माइनर नहर क्रमांक 04 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2011

क्रमांक/03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-औरापानी, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
7	0.15
4	0.09
5	0.11
81	0.07
86	0.11
107	0.07
108	0.38
114	0.06
योग	1.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औरापानी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2011

क्रमांक/04/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपुर, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
822/1थ/3	0.02
822/1ङ/2	0.09
822/1/द	0.10
822/1घ	0.16
योग	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय माइनर नहर क्रमांक 02 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2010

आदेश क्रमांक/व.प्रा./स्था./10/95.—छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट मैन्युवल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 के प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुए बारनवापारा अभ्यारण्य के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अभ्यारण्य के परिक्षेत्रों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित सहायक वृत्तों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित परिसरों की संख्या	संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रायपुर	रायपुर	रायपुर	बारनवापारा अभ्यारण्य	कोठारी	कोठारी	123.48	1. तुरतुरिया 2. फुरफुंदी 3. लाटादादर 4. तालदादर 5. कोठारी	24	**उत्तर**— कक्ष क्र. 78, 77 एवं राजस्व ग्राम खुडमुडी की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 80, 175, 201 एवं राजस्व ग्राम फुरफुंदी की दक्षिणी सीमा कक्ष क्र. 203, 206, 231 एवं 228 की उत्तरी सीमा. **पूर्व** — कक्ष क्र. 228 एवं वनग्राम नवागांव की पश्चिम सीमा कक्ष क्र. 227, 224, 223, 217, 218 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा. **दक्षिण**—कक्ष क्र. 218, 219, 220, 169, 167, 165, 107, 106, 188 एफ.डी. 186 की दक्षिणी सीमा एवं दोंद से कोठारी मार्ग की सीमा. **पश्चिम**—कक्ष क्र. एफ. डी. 186, 105, 106, 161, 178, 177, 79, 78 की पश्चिमी सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					बारनवापारा	बारनवापारा	126.22	1. बारनवापारा 2. रामपुर 3. चरौदा 4. आमगांव	21	**उत्तर** — FD 170, FD 169, FD 167, FD 163, 108, 109, 114, 115, 116, 149, 151 की सीमा एवं दोंद से कोठारी मार्ग की सीमा. **पूर्व** — कक्ष क्र. 151, 143, 144, 113 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 112, 128 एवं राजस्व ग्राम पकरीद की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 112, 128, 123, 122 एवं 131 की पूर्वी सीमा तथा 130 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा. **दक्षिण**— कक्ष क्र. 131, FD 112, FD 113, FD 114, FD 115 की दक्षिणी सीमा. **पश्चिम**—कक्ष क्र. FD 115, FD 143, FD 145, FD 170 की पश्चिमी सीमा.
						योग	**249.70**	**9**	**45**	

रामप्रकाश,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT LEGAL SERVICE COMMITTEE

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th February 2011

No. 51/HCLSC/2011.—In exercise of the powers conferred by Sub Regulation 3 of Regulation 5 and Regulation 6 of the Chhattisgarh State Legel Services Authority Regulation 2003, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh Bilaspur has been pleased to nominate the Members of the High Court Legal Service Committee High Court of Chhattisgarh Bilaspur in the following manner.

01	Shri PKC Tiwari, Senior Advocate, Bilaspur.	Member (Nominated by Hon'ble the Chief Justice)
02	Shri Praful N. Bharat, Advocate, Bilaspur.	Member (Nominated by Hon'ble the Chief Justice)

By order of Hon'ble the Chief Justice,
G. K. MISHRA, Secretary.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th March 2011

No. 1636/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Santanoo Kumar Deshlare, Judicial Magistrate First Class, Janjgir and Ku. Chiralekha Sonwani, Judicial Magistrate First Class, Sakti District Janjgir-Champa to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Bilaspur, the 22nd March 2011

No. 199/Confdl./2011/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Pratibha Verma, II Civil Judge Class-II, Balod, Distt. Durg, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Pratibha Verma, W/o Shri Narendra Verma" in place of "Ku. Pratibha Verma, D/o Shri Bahlram Verma". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 24th March 2011

No. 01/Comp./2011.—Shri L. R. Thakur, Member of Higher Judicial Service, was suspended vide order No. 01/Vigilance/2008, Dated 05th March, 2008 in contemplation of the Departmental Enquiry against him.

Hon'ble the High Court of Chhattisgarh as Disciplinary Authority hereby revokes the suspension of Shri L. R. Thakur, Member of Higher Judicial Service (placed under suspension with head quarter at Ambikapur) with immediate effect.

Bilaspur, the 24th March 2011

No. 205/Confdl./2011/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Pallavi Parashar, IV Civil Judge Class-II, Ambikapur, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Pallavi Tiwari" in place of "Ku. Pallavi Parashar". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 24th March 2011

No. 207/Confdl./2011/II-2-1/2011.—On revocation of suspension of Shri L.R. Thakur, Member of Higher Judicial Service, vide Registry Order No. 01/Comp./2011 dated 24-03-2011, he is, hereby, posted as II Additional District & Sessions Judge, Ambikapur with immediate effect on his reinstatement in service.

Bilaspur, the 29th March 2011

No. 03/Comp./2011.—Shri F. L. Unjan, Member of Higher Judicial Service, was suspended vide order No. 01/Vigilance/2009, dated 29th April, 2009 in contemplation of the Departmental Enquiry against him.

Hon'ble the High Court of Chhattisgarh as Disciplinary Authority hereby revokes the suspension of Shri F. L. Unjan, Member of Higher Judicial Service (placed under suspension with head quarter at Jagdalpur) with immediate effect.

Bilaspur, the 29th March 2011

No. 259/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Satish Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge (FTC).	Pratappur	Mahasamund	Mahasamund	II Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Anil Kumar Gaikwad, Additional District & Sessions Judge (FTC).	Pendraroad	Pendraroad	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Ashok Kumar Potdar, Additional District & Sessions Judge (FTC).	Kondagaon	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur at Kondagaon.
4.	Shri Radhakishan Agrawal VII Addl. District & Sessions Judge (FTC).	Durg	Durg	Durg	I Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Shri Nandkumar Singh Thakur III Additional District & Sessions Judge (FTC).	Raigarh	Raigarh	Raigarh	I Additional District & Sessions Judge.
6.	Shri Sypriel Xess, Additional District & Sessions Judge (FTC).	Bhanu-pratappur	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Makardhwaj Jagdalla, II Additional District & Sessions Judge (FTC).	Korba	Sanjari-Balod	Durg	Additional District & Sessions Judge.
8.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, IV Additional District & Sessions Judge (FTC).	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Additional District & Sessions Judge.
9.	Shri Ashok Kumar Sahu, Additional District & Sessions Judge (FTC).	Bemetara	Durg	Durg	V Additional District & Sessions Judge.
10.	Shri Jagdamba Rai, X Additional District & Sessions Judge (FTC).	Raipur	Raipur	Raipur	III Additional District & Sessions Judge.
11.	Shri Onkar Prasad Gupta, IX Additional District & Sessions Judge (FTC).	Raipur	Raipur	Raipur	IV Additional District & Sessions Judge.
12.	Shri Santosh Sharma, IX Additional District & Sessions Judge (FTC).	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	IV Additional District & Sessions Judge.
13.	Shri Hemant Kumar Agrawal, VIII Additional District & Sessions Judge (FTC).	Durg	Durg	Durg	II Additional District & Sessions Judge.
14.	Shri Rakesh Bihari Ghore, II Additional District & Sessions Judge (FTC).	Surajpur	Durg	Durg	III Additional District & Sessions Judge.
15.	Shri Bhishma Prasad Pandey, XIV Additional District & Sessions Judge (FTC).	Raipur	Raipur	Raipur	V Additional District & Sessions Judge.
16.	Shri Rajendra Pradhan, III Additional District & Sessions Judge (FTC).	Manendra-garh	Manendra-garh	Koriya (Baikunthpur)	II Additional District & Sessions Judge.
17.	Shri Anand Kumar Dhruv, Additional District & Sessions Judge (FTC).	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Additional District & Sessions Judge.
18.	Smt. Suman Ekka, III Additional District & Sessions Judge (FTC).	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Shri K. Vinod Kujur, IX Additional District & Sessions Judge (FTC).	Durg	Durg	Durg	IV Additional District & Sessions Judge.
20.	Shri Arvind Kumar Sinha, II Additional District & Sessions Judge (FTC).	Mungeli	Mungeli	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 29th March 2011

No. 242/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) with immediate effect and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in column No. (5) with immediate effect :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanjay Sendray, Judge, Family Court.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Lakhan Singh, Registrar, Chhattisgarh Arbitration, Tribunal.	Raipur	Raipur	Raipur	Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Khagendra Singh, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Vijay Bhushan Singh, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Korba	Korba	Korba	Additional Judge to the Court of Additional District & Sessions Judge Katghora at Korba.

Bilaspur, the 29th March 2011

No. 244/Confdl./2011/II-2-1/2011.—On revocation of suspension of Shri Firulal Unjan, Member of Higher Judicial Service, vide Registry Order No. 03/Comp./2011 dated 29-03-2011, he is, hereby, posted as Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur with immediate effect on his reinstatement in service.

Bilaspur, the 29th March 2011

No. 263/Confdl./2011/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notifications No. K. 13016/02/2010/US. II dated 24th March, 2011 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, (1) Hon'ble Shri Justice Nawal Kishore Agarwal (2) Hon'ble Shri Justice Pritinker Diwaker (3) Hon'ble Shri Justice Rangnath Chandrakar and (4) Hon'ble Shri Justice Rajeshwar Lal Jhanwar have assumed charge of the office of Additional Judge of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in the forenoon of March 29, 2011.

Bilaspur, the 4th April 2011

No. 274/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrates, as specified in Column No. (2), who have been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, are transferred from the place specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and posted on the post as specified in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrates, as specified in Column No. (2), who have been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Anita Dahariya, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Dhamtari	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Anestus Toppo, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Dantewara	Kunkuri	Jashpur	Additional District & Sessions Judge, Jashpur at Kunkuri.
3.	Smt. Neeta Yadav, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Kanker	Bilaspur	Bilaspur	II Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Manish Kumar Naidu, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Durg	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri Abdul Zahid Qureshi, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Janjgir-Champa	Baloda-Bazar	Raipur	I Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 4th April 2011

No. 276/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6)

of the table below from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Virendra Kumar Chanakya, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Jagdalpur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Smt. Satyabhama Ajay Dubey, II Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Jagdalpur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Kawardha	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Shri Jantaram Banjara, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Baikunthpur	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Kartik Ram, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Ambikapur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
6.	Smt. Dhaneshwari Sidar, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Bemetara	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
7.	Shri Rohit Singh Tanwar, VI Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Raipur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
8.	Shri Jitendra Kumar, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Surajpur	Durg	Durg	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
9.	Shri Maneesh Kumar Thakur Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Khairagarh	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
10.	Ku. Saroj Nand Das, II Civil Judge Class-I.	Korba	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 4th April 2011

No. 278/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following candidates as mentioned in Column No. (2) appointed on probation as District Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Higher Judicial Service by the State Government, are posted at the place in the capacity as shown against their names in column No. (4) of the table below with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this Order.

The following candidates are also appointed as Additional Sessions Judge for the Session Division as mentioned in the column No. (3) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Sessions Division (3)	Posted as (4)
1.	Shri Sirajuddin Qureshi S/o Shri Nasiruddin Qureshi L.I.G. 14, Indravati Colony, Rajatalab, Raipur, Dist. Raipur.	Durg	V Additional District & Sessions Judge, Durg.
2.	Smt. Pragya Pachouri, D/o Shri J. P. Pateriya, Near Dr. Abha Khare, Chowbey Colony, Chhatarpur, District Chhatarpur (M. P.)	Raipur	VI Additional District & Sessions Judge, Raipur.
3.	Shri Alok Kumar, S/o Shri Bajrang Lal Upadhyay, Duddhi Ward No. 5, House No. 5/34, D.C.F. Colony, Duddhi, Post & P. S. Duddhi, Dist. Sonbhadra (U.P.) Pin-231208.	Raipur	Additional District & Sessions Judge, Raipur.
4.	Shri Yogesh Pareek S/o Shri Jagdish Prasad Pareek, Matrachaya, Gopinath Bagh, Vrindavan Mathura, P.S. Vrindavan, Distt. Mathura (U. P.)	Raipur	II Additional District & Sessions Judge, Baloda-Bazar.
5.	Shri Uttara Kumar Kashyap S/o Shri Ujitram Kashyap Village-Kamta P. O. Borda, P. S. Shivrinarayan, Dist. Janjgir-Champa (C. G.)	Bilaspur	VI Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
6.	Shri Govind Narayan Jangde S/o Shri Bhagirathi Prasad Jangde, Village-Mehka, P. S. Shivrinarayan, Dist.-Janjgir-Champa (C. G.)	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
7.	Shri Brijendra Kumar Shastri S/o Shri Nagendra Kumar Shastri, Bank Colony, Navapara, Ambikapur, Dist.-Surguja (Ambikapur) (C. G.).	Durg	VI Additional District & Sessions Judge, Durg.

Bilaspur, the 4th April 2011

No. 280/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashok Kumar Sahu, V Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	I Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 4th April 2011

No. 282/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Anand Kumar Beck, I Additional Principal Juidge, Family Court.	Raipur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 4th April 2011

No. 285/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) is hereby posted on the post of Special Judge, as mentioned in Column No. (6) of the table below, of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes ans Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Radhakishan Agrawal, I Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Special Judge under S. C. & S. T. (P. A.) Act.

बिलासपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2011

क्रमांक 29/दो-2-19/2004.—श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, निदेशक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर दिनांक 28-02-2007 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 159 (एक सौ उनसठ) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 46/दो-2-19/2004 दिनांक 10-03-2009 द्वारा प्रदान की गई है. छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक. 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में शेष 81 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्रमांक 2002/तीन-22-3/2008 (वाड्रफनगर-अंबिकापुर).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 653/तीन-22-3/2008, दिनांक 17-01-2008, जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वाड्रफनगर की श्रृंखला न्यायालय प्रतापपुर से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 2002/III-22-3/2008 (Wadrafnagar-Pratappur.—The Notification No. 653/III-22-3/2008 dated 17-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class-II & J.M.F.C., Wadrafnagar at Pratappur is hereby cancelled.

Bilaspur, the 6th April 2011

No. 2004/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present Place of Posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Avadh Kishor, Judicial Magistrate First Class	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
2.	Shri Achhe Lal Kachhi, Judicial Magistrate First Class.	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
3.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.), Judicial Magistrate First Class.	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
4.	Smt. Pallavi Tiwari, Judicial Magistrate First Class.	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
5.	Shri Leeladharsai Yadav, Judicial Magistrate First Class.	Surajpur	Surguja at Ambikapur
6.	Shri Dilesh Kumar Yadav, Judicial Magistrate First Class.	Wadrafnagar	Surguja at Ambikapur
7.	Shri Ganesh Ram Patel, Judicial Magistrate First Class.	Sitapur	Surguja at Ambikapur

बिलासपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्रमांक 2092/तीन-22-3/2008 (सीतापुर-अंबिकापुर).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 654/तीन-22-3/2008, दिनांक 17-01-2008 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सीतापुर की श्रृंखला न्यायालय अंबिकापुर से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 2092/III-22-3/2008 (Sitapur-Ambikapur).—The Notification No. 654/III-22-3/2008 dated 17-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class-II & J.M.F.C., Sitapur at Ambikapur is hereby cancelled.

Bilaspur, the 8th April 2011

No. 12 (Mis)/I-7-3/2011 (Pt.-I).—14th April, 2011 is declared holiday for the High Court, Registry and Subordinate Courts on account of Dr. B. R. Ambedkar Jayanti.

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 7th April 2011

No. 360/L.G./2011/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 18-04-2011 to 21-04-2011 and permission to prefix holiday of 16th & 17th April, 2011 (3rd Saturday & Sunday) & Suffix holiday of 22-04-2011 (Good Friday) along with permission to leave headquarters after court hours on 15-04-2011 till before the Court hours on 23-04-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 262 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.